पत्रांकः–10/मु०–62/2020 (अंश–II).............

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

सचिन्द्र कुमार,
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवामें

सचिव,
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना।

पटना, दिनांक...........................

विषयः– **CWJC No-20406/2018Md. Alauddin Bismil Vs The State of Bihar &ors. में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि CWJC No-20406/2018 Md. Alauddin Bismil Vs The State of Bihar & ors.में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

(b) Till such time individual enquiry with respect to entitlement and compliance of statutory provisions of law and Government resolutions is not concluded, the amount by way of grants-in-aid shall not be released in favour of 609 educational institutions;

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.W.J.C. No-20406/2018 मो० अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश (f) के अनुपालन के संबंध में अराजकीय प्रस्वीकृत 2459+1 कोटि के अन्तर्गत अनुदानित मदरसों का जिला त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा, विभागीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा किया गया था। समीक्षोंपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 में निर्धारित मानक मंडल को पूर्ण नहीं करने वाले मदरसों की प्रस्वीकृति रद्द करने हेतु समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022 के नियम 12 (2) के तहत कार्रवाई करने हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को पत्र प्रेषित किया गया था। तदालोक में मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके दावे की सम्पुष्टि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराते हुए अनुशंसा के साथ अद्यतन 03 मदरसों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी गयी, जिसकी समीक्षा दिनांक 15.05.2026 को समिति द्वारा किया गया।

मदरसा संख्या–165/205 मदरसा अजीजुल उलूम अहमदगंज सान्हा बेगूसराय के संबंध में समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि इसकी प्रस्वीकृति रद्द करने की अनुशंसा तदालोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु मदरसा बोर्ड को विभागीय पत्रांक 68 दिनांक 11.01.2024 द्वारा निदेशित किया गया था। इस मदरसा के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 169 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा प्रेषित की गई जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वेतन अनुदान पर लगी रोक हटाने की अनुशंसा मदरसा बोर्ड द्वारा की गई है। लगभग ढाई वर्ष पूर्व के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मदरसा बोर्ड द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित की गई है। इतने पुराने जाँच प्रतिवेदन पर निर्णय लेना उचित नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 169 दिनांक 25.01.2024 के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन भी अपठनीय है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस मदरसा के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 में निहित शर्तों के अनुसार संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के अद्यतन जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुशंसा प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड से प्राप्त किया जाय। मदरसा की विवरणी निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	मदरसा क्रमांक एवं स्तर	मदरसा का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4
1	609 / 165 फौकानिया	मदरसा अजीजूल उलूम अहमदगंज, सान्हा, बेगूसराय	बेगूसराय

अतः निदेश है कि वर्णित मदरसा के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय से स्थलीय जाँच करा कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सचिन्द्र कुमार)
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–10 / मु०–62 / 2020 (अंश–II) 1259 पटना, दिनांक– 08-6-20

प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.6.2020

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।